182 (हस्ताक्षर)

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः योoस्थाo1/5–4/2013 2501 /योoविo,पटना, दिनांक 01 जुलाई,2014

प्रेषकः

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

पंकज कुमार
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ
पटना

विषयः बिहार राज्य योजना पर्षद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्य, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री की सुविधा अनुमान्य है, के निमित्त आप्त सचिव (बिहार प्रशासनिक सेवा स्तर) का पीoबीo–2+ ग्रेड वेतन 5400/– में सात पदो के सृजन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार राज्य योजना पर्षद का पुर्नगठन विभागीय संकल्प संo–1593 दिनांक–18.04.2013 द्वारा किया गया है। पर्षद में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मनोनित किए जाने वाले उपाध्यक्ष एवं सात पूर्णकालिक सदस्य रखे गये है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का तथा पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री की सुविधा देय है।

2. मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प संo–502 दिनांक 08.03.2007 द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित आयोग/ बोर्ड/ निगम/ पर्षद/ समितियों आदि के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष, जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री/ उपमंत्री की सुविधा अनुमान्य है, में से मंत्री स्तर के महानुभाव को दो आप्त सचिव तथा राज्य मंत्री स्तर के महानुभाव को एक आप्त सचिव की सुविधा देय है।

3. वित्त विभाग के स्वीकृत्यादेश संo 7879 दिनांक 21.07.2010 द्वारा माननीय मंत्री/राज्यमंत्री एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत वाह्य व्यक्तियों के वेतन का निर्धारण किया गया है जिसमें आप्त सचिव के लिए 18150/– रूo का नियत वेतन का निर्धारण किया गया है। स्पष्ट है कि आप्त सचिव के पद पर किसी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप उनके नियमित वेतन के निकासी के सुविधा वित्त विभाग के इस स्वीकृत्यादेश से परिलक्षित नहीं होती है।

4. बिहार राज्य योजना पर्षद में सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा या उसके समकक्ष स्तर के सेवा के पदाधिकारियों को आप्त सचिव के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्राप्त होते रहते है। चूँकि माननीय सदस्यों के लिए आप्त सचिव का कोई नियमित पद स्वीकृत नहीं है, अतः इस पद पर नियुक्ति हेतु विभाग के स्तर से अधिसूचना निर्गत करने में कठिनाई है।

5. उपर्युक्त आलोक में बिहार राज्य योजना पर्षद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं जिन्हें मंत्री/राज्यमंत्री की सुविधा अनुमान्य है, सदस्य के निमित्त आप्त सचिव (उपसमाहर्ता एवं समकक्ष स्तर के) के पद पी0बी0–2,ग्रेड पे–5400/– के वेतनमान में कुल–7 (सात) पदों का सृजन किया जाता है ताकि इन पदों पर उपसमाहर्ता एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों की सेवा की अनुशंसा सदस्यों द्वारा किए जाने पर उप समाहर्ता के संवर्ग नियंत्रण विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आप्त सचिव के पद पर पदस्थापन हेतु अधिसूचना निर्गत किया जा सके।

6. उपर्युक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप होने वाले व्यय का वहन मुख्य बजट शीर्ष 3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएँ उप–मुख्य शीर्ष–00 लघुशीर्ष–101, योजना आयोग। योजना बोर्ड मांग सं0 35, उपशीर्ष–0001 बिहार राज्य योजना बोर्ड विपत्र को–N-3451001010001 के वेतन भत्ता मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

7. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

9. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक 24.06.2014 की बैठक की मद सख्या–14 के रूप में सम्मिलित उपर्युक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है।

10. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन

(पंकज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था01/5–4/2013 2501 /यो0वि0,पटना, दिनांक 01 जुलाई,2014

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/उपाध्यक्ष, बिहार राज्य योजना पर्षद/माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव/वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/उप निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक: यो0स्था01/5–4/2013 2501 /यो0वि0,पटना, दिनांक 01 जुलाई,2014

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
योजना एवं विकास विभाग